न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नामः—रूक्मणि रियार सिहाग, आई.ए.एस.

इस्तगासा संख्याः—13/2022

स्टेट जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन जिला हनुमानगढ़

——स्टेट

बनाम

प्रेमसिंह पुत्र गुरमीत सिंह उम्र 33 साल निवासी वार्ड नं. 11 पुरानी खुंजा हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन।

——गैरसायल

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

उपस्थितः—1. अभियोजन अधिकारी स्टेट की ओर से।
2. गैरसायल स्वयं।

निर्णय **दिनांकः—25.10.2023**

यह इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन द्वारा मार्फत पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ इस न्यायालय में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रस्तुत इस्तगासा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि गैरसायल प्रेमसिंह पुत्र गुरमीत सिंह उम्र 33 साल निवासी वार्ड नं. 11 पुरानी खुजा हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन जिला हनुमानगढ़ का रहने वाला है तथा जवान उम्र का है। गैरसायल सट्टा की खाईवाली तथा अवैध धन्धा करने का आदी है, जो अवैध धन्धों में सक्रिय है। गैरसायल के अवैध धन्धों का आम जनता को आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है जिससे समाज में लगातार अनेक अपराधों को बढ़ावा मिल रहा है। पुरानी खुन्जा के लोग इससे काफी भयभीत रहते है इसकी शिकायत करने से लोग डरते है। गैरसायल की कस्बा में आम शोहरत खराब है। पुलिस थाना, हनुमानगढ़ जंक्शन के रिकार्ड के अनुसार गैरसायल के विरूद्ध निम्न 16 अभियोग पंजीबद्ध होकर चालान न्यायालय में पेश किये गये है जिनमें 15 अभियोगों में सजायाब है जिनका विवरण निम्न प्रकार है:—

क्र.सं.	मु. न. मय दिनांक	धारा	चालान दिनांक	नतीजा अदालत
1	मु. न. 200 दिनांक 15.3.2022	धारा 13 आरपीजीओ	22.03.2022	--
2	मु0 न0 179 दिनांक 08.3.2022	धारा 13 आरपीजीओ	31.3.2022	सजा 31.3.2022
3	मु0 न0 162 दिनांक 03.03.202	धारा 13 आरपीजीओ	28.3.2022	सजा 28.3.2022
4	मु0 न0 111 दिनांक 11.2.2022	धारा 13 आरपीजीओ	23.2.2022	सजा 23.2.2022
5	मु0 न0 95 दिनांक 5.2.2022	धारा 13 आरपीजीओ	24.2.2022	सजा 24.2.2022
6	मु0 न0 25 दिनांक 10.12022	धारा 13 आरपीजीओ	16.2.2022	सजा 16.2.2022
7	मु0 न0 03 दिनांक 02.1.2022	धारा 13 आरपीजीओ	15.2.2022	सजा 15.2.2022
8	मु0 न0 691 दिनांक 06.12.2021	धारा 13 आरपीजीओ	9.3.2022	सजा 9.3.2022
9	मु0 न0 684 दिनांक 3.12.2021	धारा 13 आरपीजीओ	21.12.2021	सजा 21.12.2021
10	मु0 न0 664 दिनांक 22.11.2021	धारा 13 आरपीजीओ	21.02.2021	21.02.2021
11	मु0 न0 641 दिनांक 12.11.2021	धारा 13 आरपीजीओ	14.12.2021	सजा 14.12.2021
12	मु0 न0 594 दिनांक 21.10.2021	धारा 13 आरपीजीओ	12.11.2021	सजा 12.11.2021
13	मु0 न0 578 दिनांक 11.10.2021	धारा 13 आरपीजीओ	11.01.2022	सजा 11.01.2022
14	मु0 न0 566 दिनांक 05.10.2021	धारा 13 आरपीजीओ	25.10.2021	सजा 25.10.2021
15	मु0 न0 405 दिनांक 25.7.2021	धारा 13 आरपीजीओ	3.12.2021	सजा 3.12.2021
16	मु0 न0 376 दिनांक 11.7.2021	धारा 13 आरपीजीओ	28.10.2021	सजा 28.10.2021

गैरसायल की आपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही है। इसकी ऐसी गतिविधियों से आम जनता को आर्थिक नुकसान हो रहा है जिसका समाज में बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में गैरसायल की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है। अतः गैरसायल के विरूद्ध

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 में कार्यवाही करते हुए उचित समय के लिए जिला से निष्कासित करने का आदेश फरमावें।

गैरसायल प्रेमसिंह पुत्र गुरमीत सिंह उम्र 33 साल निवासी वार्ड नं. 11 पुरानी खुजा हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन, जिला हनुमानगढ़ को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल आज दिनांक 25.10.2023 को स्वयं उपस्थित व इस्तगासा में वर्णित जुर्म स्वीकार करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पैरोकार राज अभियोजन अधिकारी द्वारा इस्तगासा के तथ्यों का विस्तृत उल्लेख करते हुए कथन किया कि गैरसायल आपराधिक गतिविधियां करने का अभ्यस्त अपराधी है। गैरसायल की गतिविधियों से आमजन आशंकित रहता है। अतः गैरसायल को गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 3 के तहत जिला बदर किया जावे।

गैरसायल ने स्वयं द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि थानाधिकारी पुलिस थाना हनुमानगढ जंक्शन द्वारा मेरे विरूद्ध यह इस्तागासा दायर किया गया है जिसमें वर्णित जुर्म धारा 13 आर.पी.जी.ओ. एक्ट को स्वीकार करता हुँ। मैं दिहाड़ी मजदूरी करके अपना व परिवार का पालन–पोषण कर रहा हुँ। मेरे खिलाफ पुलिस थाना हनुमानगढ जंक्शन मे काफी मुकदमा दर्ज हो रखे है। अब मे अपनी गलती स्वीकार करता हुँ तथा आईन्दा सट्टा पर्ची नहीं लिखुगा मैं उक्त इस्तगासा में वर्णित जुर्म के सम्बन्ध में कोई जवाब व साक्ष्य आदि पेश नहीं करना चाहता। भविष्य मे कोई भी गैर कानूनी कार्य नही करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। गैरसायल को माननीय सक्षम न्यायालय द्वारा धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के लगभग सभी मुकदमों में दोष सिद्ध होने के तथ्य को स्वीकार करने पर सजायाब किया गया है। इस प्रकार उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2ख(V) के अन्तर्गत गैरसायल गुण्डा की परिभाषा में कवर होता है किन्तु जिला या क्षेत्र से बाहर किये जाने हेतु राजस्थान गुण्डा नियत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(क) की शर्त के साथ 3(ख) में वर्णित शर्तो का भी होना जरूरी है अर्थात व्यक्ति के गुण्डा होने के साथ–साथ यह भी जरूरी है कि वह विनिर्दिष्ट अपराध/कृत्य को करने में निरन्तर रत रहे तथा उसके द्वारा की जा रही गतिविधियों से किसी व्यक्ति या सम्पति को खतरा या नुकसान होने की सम्भावना हो।

इस सम्बन्ध में पत्रावली का अवलोकन करने पर यह जाहिर होता है की गैरसायल के विरूद्ध 16 मुकदमें दर्ज हुए है। लगभग सभी मुकदमो में गैरसायल को न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है। थानाधिकारी हनुमानगढ जंक्शन द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा के साथ संलग्न रोजनामचा के अनुसार दिनांक 23.04.2022 को यह रपट दर्ज की गई है कि वार्ड वासियों व मोजीत व्यक्तियों ने बताया कि हमारे वार्ड में रहने वाला प्रेम सिंह पुत्र गुरमीत सिंह जो अवैध रूप से सट्टा की खाईवाली करता है जिसके खिलाफ काफी मुकदमे दर्ज है व सजा हुई है, जो लोगों को धमकाता रहता है तथा समाज में बुरा असर पड़ रहा है। कोई इसकी शिकायत नहीं करता है। सभी डरते है तथा खुल कर इसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं करता है जिस पर वार्ड वासियों को कार्यवाही बाबत कहा तो सभी ने बयान देने से मना कर दिया सभी डरते है तथा खुल कर इसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं करता है, का ऐसे कृत्य में अभ्यस्त होना निश्चित ही जन सामान्य में परेशानी एवं खतरे का सूचक है।

गैरसायल को अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित एवं पर्याप्त अवसर दिया गया है किन्तु गैरसायल द्वारा ऐसा कोई ठोस प्रमाण/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिसके आधार पर सायल पक्ष द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया जा सके। प्रकरण को देखते हुए गैरसायल इस प्रकार के आपराधिक कृत्य को भविष्य में नहीं करेगा, इस सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। मामले की परिस्थितियों के आधार पर गैरसायल के विरूद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकाशित आरोप प्रमाणित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय को यह समाधान हो गया है कि राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत गैरसायल के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु पर्याप्त एवं समुचित आधार है, गैरसायल के विरूद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित होते है।

अतः गैरसायल प्रेमसिंह पुत्र गुरमीत सिंह उम्र 33 साल निवासी वार्ड नं. 11 पुरानी खुंजा हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन, जिला हनुमानगढ़ को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत 28 दिवस की अवधि तक जिले से बाहर चले जाने हेतु आदेश दिये जाते है। गैरसायल दिनांक 26.10.2023 को सांय पांच बजे थानाधिकारी पुलिस थाना हनुमानगढ जंक्शन को सूचित करते हुए हनुमानगढ़ जिले की सीमा से बाहर चला जावे तथा गैरसायल निष्कासन अवधि में जिस जिले के स्थान पर निवास करेगा उस स्थान के थानाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर सूचित करेगा। निष्कासन अवधि समाप्ति पर सम्बन्धित थानाधिकारी को अवगत करवाकर हनुमानगढ जिले में प्रवेश करेगा तथा वापसी पर थानाधिकारी पुलिस थाना, हनुमानगढ जंक्शन को सूचित करेगा। सम्बन्धित थानाधिकारी गैरसायल की दैनिक गतिविधियों पर पूर्ण निगरानी रखेगा। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ एवं थानाधिकारी पुलिस थाना, हनुमानगढ जंक्शन को पालना हेतु भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 25.10.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)आई.ए.एस.
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official